भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1239
दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

दत्तक ग्रहण और बाल कल्याण प्रणाली को मजबूत करना

1239. कैप्टन बृजेश चौटा:
श्री जगदम्बिका पाल:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के प्रमुख कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम और उससे संबंधित विनियमों के अंतर्गत दत्तक ग्रहण/पालन-पोषण (फोस्टर केयर) को शासित करने वाले प्रमुख नियमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) केयरिंग्स पोर्टल पर गोद लेने के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध बच्चों की संख्या/पंजीकृत भावी दत्तक माता-पिता (अनिवासी भारतीय, एनआरआई, ओसीआई और विदेशी नागरिक) की संख्या, औसत प्रतीक्षा अवधि दर्शाती है और डिजिटल निगरानी और प्रक्रियात्मक सुधारों के माध्यम से विलंब को कम करने के लिए किए गए उपायों का कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ के लिए राज्य-वार, जिला-वार सहित श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) अनाथ, परित्यक्त अथवा समर्पित बच्चों को दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है, इसमें बाल कल्याण समितियों की भूमिका क्या है तथा अपंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है, जिसमें कर्नाटक में चिन्हित ऐसे मामलों यदि कोई हो, तो उसका ब्यौरा भी शामिल हो;
(घ) पालन-पोषण हेतु जिसमें ट्रांसजेंडर/समलैंगिक व्यक्तियों की दत्तक ग्रहण/फोस्टर केयर हेतु पात्रता से संबंधित प्रावधान सहित पात्रता मानदंडों एवं निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है; और
(ड.) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए सुरक्षा उपायों, वार्षिक दत्तक ग्रहण आंकड़ों, बजट उपयोग तथा पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने हेतु प्रस्तावित सुधारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय**,** केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 के तहत निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं**,** अर्थात्: (i) देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना और राज्य

एजेंसी के समन्वय से अंतर-राज्यीय दत्तक ग्रहण को सुगम बनाना**;** (ii) अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करना**;** (iii) समय-समय पर आवश्यकतानुसार दत्तक ग्रहण और संबंधित मामलों पर विनियम बनाना**;** (iv) अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में बाल संरक्षण एवं सहयोग पर हेग सम्मेलन के अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण के कार्यों का निर्वहन करना**;** और (v) कोई अन्य कार्य जो निर्दिष्ट किया जाए।

देश में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम (जेजे अधिनियम), 2015 और दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के माध्यम से की जाती है। पालन पोषण देखभाल के लिए**,** मंत्रालय ने आदर्श पालन पोषण देखभाल दिशानिर्देश, 2024 तैयार किए हैं**,** जिन्हें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से लागू किया जाता है।

(ख): मिशन वात्सल्य पोर्टल के साथ एकीकृत नमोदिष्ट पोर्टल केयरिंग्स के अनुसार, कुल 2170 बच्चे कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध हैं (दिनांक 22/01/2026 तक)।

केयरिंग्स पोर्टल पर पंजीकृत संभावित दत्तक अभिभावकों (निवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय और विदेशी नागरिक) की कुल संख्या (दिनांक 22/01/2026 तक) इस प्रकार है:

निवासी भारतीय	अनिवासी भारतीय	प्रवासी भारतीय	विदेशी नागरिक
29610	268	154	201

प्रतीक्षा अवधि कई कारकों जैसे कि राज्य में बच्चों की उपलब्धता, साथ ही बच्चे की आयु श्रेणी, लिंग और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है। हालांकि, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और तत्काल प्लेसमेंट श्रेणी के बच्चों (ज्यादातर बड़े बच्चे) के दत्तक ग्रहण के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है।

देरी को कम करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, कारा ने एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। बाल देखरेख संस्थाओं में दत्तक ग्रहण योग्य बच्चों की पहचान करने और उन्हें दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया को तेज़ करने हेतु जुलाई, 2024 में एक पहचान प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है। बच्चों, अधिकृत और संबंधित एजेंसियों के साथ-साथ निवासी भारतीय/अनिवासी भारतीय/प्रवासी भारतीय/विदेशी भावी दत्तक ग्रहणकर्ता अभिभावक (भारत में रहते हैं/नहीं रहते हैं) द्वारा दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रक्रियाओं की समय-सीमा दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 में निर्धारित की गई है।

एलएफए (कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त) लंबित मामलों का राज्यवार, श्रेणीवार और कर्नाटक राज्य का जिलावार ब्यौरा क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग): बच्चे को अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित घोषित करने की प्रक्रिया किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में निर्धारित की गई है। किशोर न्याय अधिनियम में बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने तथा दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया निर्धारित है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 में राज्य द्वारा बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) के पंजीकरण का प्रावधान है, जबकि धारा 42 में राज्य सरकार को, बिना पंजीकरण करवाए कार्यशील सीसीआई पर उचित कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। अधिनियम की धारा 27 के तहत, प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया जाता है, जो देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित अधिकारों का प्रयोग करती है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती है।

(घ) और (ड.) : आदर्श पालन-पोषण दिशानिर्देश, 2024 में भावी पालन-पोषणकर्ता अभिभावकों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित हैं जो कारा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण में पूरी तरह ऑनलाइन तथा पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाता है जिसमें भावी दत्तक ग्रहणकर्ता अभिभावक का पंजीकरण अनिवार्य है। अनिवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय और विदेशाी भावी दत्तक ग्रहणकर्ता अभिभावकों के घर का अध्ययन और पंजीकरण अधिकृत एजेंसियों, केंद्रीय प्राधिकरणों या भारतीय मिशनों द्वारा, नामोदिष्ट पोर्टल के माध्यम से किया जाता है तथा सभी मामलों की जांच और अनुमोदन कारा द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार किया जाता है। दत्तक ग्रहण के सभी चरणों में भावी अभिभावकों तथा बच्चों का परामर्श अपेक्षित होता है और किसी तरह के व्यवधान या विच्छेद से पहले भी परामर्श अपेक्षित होता है। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत केयरिंग्स पोर्टल के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान दत्तक ग्रहण से संबंधित आंकड़ें इस प्रकार हैं:-

वर्ष	देश में	अंतरदेशीय	कुल
2022-23	3010	431	3441
2023-24	3580	449	4029
2024-25	4155	360	4515

कारा, मंत्रालय द्वारा आवंटित बजट के अंतर्गत ही सभी दत्तक ग्रहण संबंधी गतिविधियों का संचालन करता है, अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के लिए कोई अलग बजट आवंटन नहीं है। पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए अनिवार्य परामर्श, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की चिकित्सा जांच, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दत्तक ग्रहण के आदेश जारी करने तथा समय-सीमा निर्धारित करने जैसे उपायों के माध्यम से दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। पूरी प्रक्रिया को मिशन वात्सल्य के तहत केयरिंग्स पोर्टल के जरिए डिजिटल बनाया गया है जिसमें एकीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से भावी दत्तक ग्रहणकर्ता अभिभाविकों और बच्चों की तत्समय (रियल टाईम) ट्रैकिंग और निगरानी शामिल है, जिससे पारदर्शी और कुशल दत्तक ग्रहण प्रणाली सुनिश्चित होती है।

*****

अनुलग्नक-I

'दत्तक ग्रहण और बाल कल्याण प्रणाली को मजबूत करना' विषय पर श्री कैप्टन बृजेश चौटा, श्री जगदम्बिका पाल और श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा पूछे गए दिनांक 06.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न 1239 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक

कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त बच्चों का राज्य-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनाथ	परित्यक्त	अभ्यर्पित	कुल
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	0	0	3
2	आंध्र प्रदेश	5	12	11	28
3	अरुणाचल प्रदेश	18	29	35	82
4	असम	59	66	39	164
5	बिहार	17	45	4	66
6	चंडीगढ़	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	146	94	25	265
8	दिल्ली	33	229	18	280
9	गोवा	2	4	11	17
10	गुजरात	5	38	10	53
11	हरियाणा	36	82	38	156
12	हिमाचल प्रदेश	0	4	1	5
13	जम्मू और कश्मीर	36	29	26	91
14	झारखंड	11	54	8	73
15	कर्नाटक	46	95	124	265
16	केरल	22	23	25	70
17	लद्दाख	0	0	0	0
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	51	85	27	163
20	महाराष्ट्र	106	343	210	659
21	मणिपुर	30	6	5	41
22	मेघालय	0	0	1	1
23	मिजोरम	0	0	1	1
24	नागालैंड	0	0	3	3
25	ओडिशा	110	44	32	186
26	पुद्दुचेरी	0	1	7	8
27	पंजाब	1	8	4	13
28	राजस्थान	27	29	7	63
29	सिक्किम	4	0	0	4
30	तमिलनाडु	118	91	194	403
31	तेलंगाना	6	31	40	77
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	15	12	6	33
34	उत्तराखंड	20	6	4	30
35	उत्तर प्रदेश	128	252	28	408
36	पश्चिम बंगाल	37	153	32	222

अनुलग्नक – II

'दत्तक ग्रहण और बाल कल्याण प्रणाली को मजबूत करना' विषय पर श्री कैप्टन बृजेश चौटा, श्री जगदम्बिका पाल और श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा पूछे गए दिनांक 06.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न 1239 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक

दक्षिण कन्नड़ जिले सहित कर्नाटक राज्य में कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त बच्चों का जिला-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा

क्र.सं.	**जिले**	**अनाथ**	**परित्यक्त**	**अभ्यर्पित**	**कुल**
1	बागलकोट	0	0	0	**0**
2	बल्लारी	4	0	2	**6**
3	बेलगावी	23	0	0	**23**
4	बेंगलुरु ग्रामीण	0	3	3	**6**
5	बेंगलुरु दक्षिण	0	1	3	**4**
6	बेंगलुरु शहरी	5	44	44	**93**
7	बीदर	3	4	1	**8**
8	चामराजनगर	0	0	2	**2**
9	चिक्कबल्लपुर	0	1	1	**2**
10	चिक्कामगलुरु	0	1	1	**2**
11	चित्रदुर्ग	1	1	3	**5**
12	**दक्षिण कन्नड़**	**0**	**3**	**8**	**11**
13	दावनगेरे	0	3	7	**10**
14	धारवाड़	5	3	1	**9**
15	गडग	0	0	0	**0**
16	हसन	1	2	4	**7**
17	हावेरी	0	1	2	**3**
18	कलबुर्गी	0	0	5	**5**
19	कोडागू	0	11	1	**12**
20	कोलार	0	2	1	**3**
21	कोप्पल	0	0	0	**0**
22	मंड्या	3	4	3	**10**
23	मैसूर	0	2	6	**8**
24	रायचूर	0	2	0	**2**
25	शिवमोगा	0	1	5	**6**
26	तुमकुरु	0	3	12	**15**
27	उडुपी	1	0	3	**4**
28	उत्तर कन्नड़	0	2	4	**6**
29	विजयनगर	0	0	0	**0**
30	विजयपुरा	0	0	2	**2**
31	यादगीर	0	1	0	**1**

*****